दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय पारित : 08.01.2024

रि.या.(आप.)72/2024

रानी उर्फ मंजू ....याचिकाकर्ता

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य (सरकार) .....प्रत्यर्थीगण

इस मामले में पेश हुए अधिवक्तागण:

याचिकाकर्ता हेतु : श्री ऋषि मल्होत्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी हेतु : श्री संजय लाओ, राज्य के स्था.अधि. संग सुश्री प्रियम अग्रवाल अधिवक्ता के साथ सहा.उप.नि शोकीन्द्रा, थाना कृष्णा नगर।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास महाजन

निर्णय

न्या. विकास महाजन, (मौखिक)

आप.वि.आ. 590/2024 व आप.वि.आ. 592/2024

1. सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन, स्वीकृत।

2. आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>रि.या.(आप.)72/2024 व आप.वि.आ. 591/2024</u>

3. वर्तमान याचिका दंडादेश समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) द्वारा पारित दिनांक 30.06.2023 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसके द्वारा समयपूर्व रिहाई की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

4. राज्य सरकार की दिनांक 16-07-2004 की नीति के तहत समयपूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश देने की मांग करते हुए भी एक प्रार्थना की गई है।

5. याचिकाकर्ता को अन्य सह-आरोपियों के साथ भा.दं.सं. की धारा 343/36क/365/120ख के तहत दिनांक 03.04.2012 के निर्णय के द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया था। भा.दं.सं. की धारा 343, 365 व 120ख के तहत अपराधों के लिए क्रमशः एक साल, पाँच साल व तीन साल के दंडादेश के अतिरिक्त, अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 364क के तहत अपराध हेतु आजीवन कठोर कारावास का दण्डादेश सुनाया गया था।

6. दोषसिद्धि एवं दंडादेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 394/2012, अन्य सह-सिद्ध दोषियों की संबंधित अपीलों के साथ, इस

न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ द्वारा दिनांक 29.05.2023 के निर्णय द्वारा खारिज कर दी गई थी।

7. अपील में पारित पूर्वोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि बच्चे चिराग का अपहरण कर लिया गया था और उसे दिल्ली से बाहर सिकंदराबाद के एक दूरदराज गांव में ले जाया गया था। टेलीफोन पर बारंबार फिरौती की मांग की गई थी कि बच्चे को नुकसान पहुंचाया जाएगा या नुकसान पहुंचाया जा चुका है। याचिकाकर्ता और सह-सिद्धदोष धर्मेंद्र को पूरन व अन्य द्वारा रची गई षड्यंत्र का हिस्सा पाया गया। न्यायालय ने यह भी पाया कि सह-सिद्धदोष धर्मेंद्र और वर्तमान याचिकाकर्ता के षड्यंत्र का हिस्सा होने के बिना दिल्ली में चिराग का अपहरण संभव नहीं था।

8. पूर्णता हेतु, यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को उसकी रिहाई की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के लिए दिल्ली कारागार नियम, 2018 के अनुसार दिनांक 10.11.2023 के आदेश एफ.10(3496481)/सीजे/लीगल/पीएचक्यू/2023/एम.72क्यू द्वारा दूसरी बार फर्लो प्रदान की गई लेकिन फर्लो की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण करने के बजाय याचिकाकर्ता ने दिनांक 16-07-2004 की नीति के आधार पर समयपूर्व रिहाई की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के

अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका यानी रि.या.(आप) 601/2023 शीर्षक ***"रानी उर्फ मंजू व अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)*** दायर की।

9. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11.12.2023 के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को अन्य याचिकाओं के एक समूह के साथ खारिज कर दिया और याचीगण को अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। यह भी आदेश दिया गया था कि पूर्व प्रदानित अंतरिम सुरक्षा चार सप्ताह की अवधि के लिए जारी रहेगी। दिनांक 11.12.2023 के आदेश को त्वरित संदर्भ हेतु निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

> *"1. हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत असाधारण अधिकारिता में वर्तमान याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।*
>
> *2. तदनुसार, इन रिट याचिकाओं को अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है।*
>
> *3. इस न्यायालय द्वारा पूर्व प्रदानित अंतरिम सुरक्षा आज से चार सप्ताह की अवधि के लिए जारी रहेगी"*

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सह-सिद्धदोष पूरन उर्फ शंकर पुत्र श्री राम बली को एसआरबी की दिनांक 25.06.2021 की सिफारिशों के आधार पर समय पूर्व रिहा कर दिया गया था, जिसकी एक प्रति वर्तमान याचिका

के अनुलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न की गई है। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा समयपूर्व रिहाई की मांग करने के मामले को एसआरबी ने खारिज कर दिया है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अस्वीकृति आदेश में तर्कदोष यह है कि प्रत्यर्थीयों ने दिल्ली कारागार नियम, 2018 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के तहत याचिकाकर्ता के मामले को लागू करने और अस्वीकार करने का विकल्प चुना है, न कि दिनांक 16.07.2004 की समयपूर्व रिहाई की प्रासंगिक नीति के अनुसार (इसके बाद 'नीति' के रूप में संदर्भित) जिसे याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करते समय लागू किया जाना चाहिए था।

12. वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***जोसेफ बनाम केरल राज्य व अन्य*** के मामले में पारित निर्णय की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय का संदर्भ लेते हुए विधि की इस प्रतिपादना को पुन:स्थापित किया कि किसी सिद्धदोष की दोषसिद्धि की तिथि पर प्रचलित परिहार नीति किसी दिए गए मामले में लागू की जानी है और यदि समयपूर्व रिहाई के लिए मामले पर विचार किए जाने के दिन अधिक उदार नीति विद्यमान है तो ऐसी उदार नीति लागू होगी। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा निम्नानुसार है: -

"19. हरियाणा राज्य बनाम जगदीश मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों के पठन से, जिसका अनुसरण हरियाणा राज्य बनाम राज कुमार मामले में किया गया था, ***विधि की स्थिति स्पष्ट हो जाती है: दोषसिद्धि की तिथि पर प्रचलित परिहार नीति को लागू किया जाना चाहिए। किसी दिए गए मामले में, और यदि विचार के दिन अधिक उदार नीति मौजूद है, तो बाद वाली नीति लागू होगी।*** *इस दृष्टिकोण का हाल ही में इस न्यायालय द्वारा राजा बनाम बिहार राज्य में भी अनुसरण किया गया था।*

(जोर दिया गया)

13. वह प्रस्तुत करते हैं कि एसआरबी का आक्षेपित आदेश एक रूढ़िबद्ध आदेश है जिसने मामले के तथ्यों का उल्लेख किए बिना सामान्य शर्तों पर याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई को खारिज कर दिया है। वर्ष 2004 की दिनांक 16.07.2004 की नीति के पैरा 3.1 पर ध्यान आकर्षित करते हुए, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 16.07.2004 की नीति में बताए गए निम्नलिखित तीन कारकों पर समयपूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेते समय विचार किया जाना आवश्यक था:

(क) चाहे सिद्धदोष ने 14 साल की कैद के दौरान कारागार में अपने समग्र आचरण को देखते हुए अपराध करने की अपनी क्षमता खो दी है।

(ख) समाज के एक उपयोगी सदस्य के रूप में सिद्धदोष को पुनः प्राप्त करने की संभावना; और

(ग) सिद्धदोष के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

14. आक्षेपित आदेश को संदर्भित करते हुए, वे प्रस्तुत करते हैं कि यह नीति में उल्लिखित पूर्वोक्त तीन मापदंडों में से किसी का भी उल्लेख नहीं करता है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह पूर्ण रूप से इसका अविचारित होना दर्शाता है।

15. उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया जाए और याचिकाकर्ता के मामले पर समयपूर्व रिहाई के लिए पुनर्विचार किया जाए। वे प्रस्तुत करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2023 के आदेश द्वारा प्रदान की गई अंतरिम सुरक्षा को तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक कि एसआरबी द्वारा समयपूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर नए सिरे से विचार नहीं किया जाता। अपने प्रतिविरोध के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका (आप) 336/2019 के ***"रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य"*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 06.09.2022 के निर्णय का अवलंब लिया है। जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के दण्डादेश भोग रहे दोषियों को जमानत का अंतरिम संरक्षण दिया गया था, जिन्हें समयपूर्व रिहाई के लिए उनके आवेदन के निपटान तक जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

16. *इसके विपरीत,* राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अगला एसआरबी दो महीने की अवधि के भीतर आयोजित किए जाने की संभावना है और

याचिकाकर्ता के मामले पर उक्त बोर्ड द्वारा नए सिरे से विचार किया जा सकता है। हालांकि, वह एसआरबी द्वारा समयपूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर नए सिरे से विचार किए जाने तक आत्मसमर्पण करने से छूट के रूप में याचिकाकर्ता को किसी भी अंतरिम राहत प्रदान किए जाने का विरोध करता है।

17. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को भी सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

18. याचिकाकर्ता को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2012 के निर्णय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया था और यह विवाद में नहीं है कि सुसंगत समय पर दिनांक 16.07.2004 की नीति प्रचलन में थी। अत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***जोसफ*** (पूर्वोक्त) निर्णय के पैरा 19 एवं इस निर्णय में पूर्वोक्त उल्लिखित अन्य मामलों में स्थापित की गई विधि को ध्यान में रखते हुए समयपूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर दिनांक 16-07-2004 की नीति के तहत विचार किया जाना चाहिए।

19. चूंकि याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई को अस्वीकार करने के आक्षेपित आदेश को भी चुनौती दी गई है, इसलिए इस समय उक्त आदेश को उद्धृत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

दिनांक 30 जून, 2023 को आयोजित एसआरबी बैठक के कार्यवृत्त

67. रानी उर्फ मंजू पत्नी श्री धर्मेंद्र-आयु-43 वर्ष

रानी उर्फ मंजू पत्नी श्री धर्मेंद्र एक नाबालिग बच्चे के अपहरण की फिरौती के लिए भा.दं.सं. की धारा 364-क/365/120ख/343 के तहत प्राथमिकी सं. 129/2007 थाना कृष्णा नगर, दिल्ली के मामले में आजीवन कारावास का दंड भोग रही है।

<u>सिद्धदोष ने भोगा है:</u>

वास्तव में 14 साल, 10 महीने तथा 22 दिन का कारावास एवं परिहार के साथ 17 साल, 06 महीने और 11 दिन। वह 07 बार पैरोल और 10 बार फर्लो का लाभ उठा चुकी है।

<u>निष्कर्ष:</u>

*इस मामले को दिनांक 14.012.2022 को आयोजित दंड समीक्षा बोर्ड की पिछली बैठक में अपराध कारित होने के तथ्यों और परिस्थितियों के विषय में अतिरिक्त स्पष्टीकरण के अभाव में स्थगित कर दिया गया था और उसके सह-सिद्धदोष द्वारा भोगे गए दंड से संबंधित विवरण भी मांगा गया था, जिसे पहले ही एसआरबी द्वारा दिनांक 27.08.2021 को प्रकाशित कर दिया गया था। तदनुसार, बोर्ड को संक्षेप में किए गए अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ पिछले एसआरबी द्वारा कारागार से रिहा होने के समय उसके सह-सिद्धदोष द्वारा भोगे गए दंड के बारे में अवगत कराया गया था। जिस तरीके से अपराध किया गया था, अपराध की गंभीरता और अपराध की विकृति आदि पर विस्तृत चर्चा के बाद, बोर्ड ने सर्वसम्मति से इस स्तर पर दोषी रानी उर्फ मंजू पत्नी श्री धर्मेंद्र की समयपूर्व रिहाई **<u>अस्वीकृत</u>** कर दी।*

20. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि निष्कर्ष भाग में एसआरबी ने नोट किया है कि याचिकाकर्ता का सह-दोषसिद्ध को एसआरबी द्वारा दिनांक 27.08.2021 को पहले ही रिहा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 25.06.2021 को आयोजित एसआरबी की बैठक के कार्यवृत्त (अनुलग्नक पी-3) भी

अभिलेख पर हैं, जो इंगित करता है कि सह-दोषसिद्ध पूरन उर्फ शंकर पुत्र राम बली को एसआरबी द्वारा समयपूर्व रिहा करने की सिफारिश की गई थी। एसआरबी की सह-सिद्धदोष पूरन के संबंध में सिफारिश इस प्रकार है: -

दिनांक 25 जून, 2021 को आयोजित एसआरबी बैठक के कार्यवृत्त

24. पूरन उर्फ शंकर पुत्र श्री राम बली- आयु-33 वर्ष।

पूरन उर्फ शंकर पुत्र श्री राम बली फिरौती के लिए 3.5 वर्ष की आयु के एक नाबालिग लड़के के अपहरण के लिए भा.दं.सं. की धारा 364क/365/343/120-ख के तहत प्राथमिकी सं. 129/2007, थाना कृष्णा नगर, दिल्ली के मामले में आजीवन कारावास का दंड भोग रहा है।

<u>सिद्धदोष ने भोगा है:</u>

*14 वर्ष और 06 दिन का कारावास **वास्तव में** और 16 साल, 06 महीने और 27 दिन **परिहार के साथ**। उसने 03 बार पैरोल और 05 बार फर्लो का लाभ उठाया है।*

<u>पुलिस द्वारा सिफारिश:</u>

दिल्ली पुलिस ने अपनी आख्या में उनकी समय पूर्व रिहाई की न तो सिफारिश की है और न ही विरोध किया है। गृहनगर पुलिस ने अपनी आख्या में उनकी समय पूर्व रिहाई का कड़ा विरोध किया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस के उपायुक्त (अपराध एवं विधिक) ने कहा है कि चर्चा के मद्देनजर उनकी समयपूर्व रिहाई पर विचार किया जा सकता है।

***<u>समाज कल्याण विभाग द्वारा सिफारिश:</u>** समाज कल्याण विभाग, दिल्ली आख्या प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, दिल्ली बैठक में उनकी समयपूर्व रिहाई का **समर्थन** किया है।*

<u>निष्कर्ष:</u>

मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि सिद्धदोष का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है, कैद के दौरान संतोषजनक कारागार

*आचरण के साथ-साथ पैरोल और फर्लो के दौरान, समाज का एक उपयोगी अभिविन्यास सदस्य होने के नाते आदि, बोर्ड ने सिद्धदोष पूरन उर्फ शंकर पुत्र श्री राम बली की समयपूर्व **रिहाई** की **अनुशंसा** की है।*

21. अपीलकर्ता की आपराधिक अपील और अन्य संबंधित अपीलों में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिनांक 29.05.2013 को पारित निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा, जहां तक यह भा.दं.सं. की धारा 364क के तहत अपराध से संबंधित है, जिसके लिए आजीवन कारावास दिया गया था, इस प्रकार है:

*... 30. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि भा.दं.सं. की धारा 364क के तहत अपराध नहीं बनता है। **सुरेंद्र कुमार उर्फ राजा बनाम राज्य**, 6 जनवरी, 2010 को निर्णीत आपराधिक अपील सं 738/2003 पर भरोसा जताया विशेष रूप से जोर दिया गया था कि भा.दं.सं. की धारा 364क के अनिवार्य घटक के रूप में पीड़ित व्यक्ति को जान से मारने या चोट पहुंचाने की धमकी देना अथवा एक ऐसा आचरण है जिससे यह युक्तिसंगत आशंका उत्पन्न हुई कि अपहृत व्यक्ति को चोट पहुंचेगी या मारा जाएगा। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि एक आपराधिक षड्यंत्र का रचा जाना सिद्ध नहीं किया गया था और **पी. के. नारायणन बनाम केरल राज्य**, (1995) 1 एससीसी 142 और **संजीव कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य,** (1999) 2 एससीसी 288 मामले के निर्णयों पर भरोसा जताया गया था।*

31. भा.दं.सं. की धारा 364क अपहृत या वयपहृत व्यक्ति को चोट पहुंचाने या जान से मारने की धमकी देना अनिवार्य करती है। आचरण जो युक्तियुक्त आशंका को जन्म देता है कि ऐसे व्यक्ति को मारा या चोट लग सकती है जिस पर अपहरण या फिरौती के लिए अपहरण के अपराध को भी भा.दं.सं. की धारा 364क के दायरे में ले आएगा।

32. वर्तमान मामले में, धमकी दी गई थी कि अपहृत बच्चे चिराग को नुकसान पहुंचाया जाएगा। वास्तव में, अभि.सा.-1 ने गवाही दी है कि उसे टेलीफोन पर

*सूचित किया गया था कि उसके बच्चे के अंगूठे काट दिए गए थे। यहां **श्याम बाबू व अन्य बनाम हरियाणा राज्य,** 2008 (14) स्केल 310 में इसका उल्लेख करना प्रासंगिक होगा जिसमें धारा भा.दं.सं. 364क की व्याख्या की गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शब्दांकन ही बताता है कि जब अपहरण अपहृत व्यक्ति को मौत, चोट आदि के कारण धमकी के साथ किया जाता है, तो अपराध पूर्ण हो जाता है। वर्तमान मामले में, बच्चे चिराग का अपहरण कर लिया गया और उसे दिल्ली से बाहर सिकंदराबाद के एक दूर दराज गाँव में ले जाया गया। टेलीफोन पर बार-बार फिरौती की मांग की गई थी कि बच्चे को नुकसान पहुंचाया जाएगा या नुकसान पहुंचाया जा चुका है। निस्संदेह, धारा 364-क के तहत अपराध कारित किया गया है।*

*33. इसी प्रकार का दृष्टिकोण सर्वोच्च न्यायालय ने **मल्लेशी बनाम कर्नाटक राज्य**, 2004 (एस) एससीसी 95 में भी अपनाया है। **सुमन सूद बनाम राजस्थान राज्य**, 2007 (5) एससीसी 634 का संदर्भ भी लिया जा सकता है। उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 120-ख तथा "षड्यंत्र" शब्द के अर्थ की भी जांच की और पाया कि षड्यंत्र गोपनीयता में रचा गया है और इसके लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना कठिन हो सकता है। **संजीव कुमार** (पूर्वोक्त) तथा **पी. के. नारायणन** (पूर्वोक्त) निर्णय में अवधारणा/शब्द षड्यंत्र से भी निपटता है। **पी. के. नारायणन** मामले में यह देखा गया है कि तैयारी या मकसद स्वयं षड्यंत्र का गठन नहीं करते हैं और न्यायालय को सावधान रहना चाहिए और ठोस या पर्याप्त सबूतों द्वारा समर्थित बिना केवल संदेह, अनुमानों या निष्कर्षों पर षड्यंत्र के आरोप को स्वीकार नहीं करना चाहिए। **हमने अपीलकर्ताओं के निष्कर्ष को दर्ज करने से पहले स्पष्ट-ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य का उल्लेख किया है कि धर्मेंद्र और रानी पूरन और अन्य द्वारा रचे गए षड्यंत्र का हिस्सा थे। धर्मेंद्र और रानी षड्यंत्र का हिस्सा होने के नाते दिल्ली में चिराग का अपहरण अपीलकर्ताओं के बिना संभव नहीं था । टेलीफोन बातचीत ठोस एवं पर्याप्त साक्ष्य हैं जो उनकी भागीदारी को निहित और पुष्ट करते हैं।***

*34. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम सत्यवान और रेशमा द्वारा दायर अपीलों को अनुमति देते हैं और उन्हें बरी किया जाता है। **हालांकि, हमें धर्मेंद्र, रानी और पूरन***

<u>द्वारा दायर की गई अपीलों में कोई गुणागुण नहीं मिलता है</u>। *उनकी अपील खारिज की जाती है। हम उक्त अपीलकर्ताओं के खिलाफ पारित दंडादेश के आदेश को भी संधार्य रखते हैं। सत्यवान और रेशमा को तुरंत रिहा किया जाए बशर्ते कि विधि के अनुसार किसी अन्य मामले में अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता न हो। ...*

22. आक्षेपित आदेश का अवलोकन दर्शाता है कि एसआरबी ने याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई को खारिज करते हुए केवल विचार किया है- () जिस तरीके से अपराध किया गया था, () अपराध की गंभीरता, और () अपराध की विकृति। कहने की जरूरत नहीं है, कि ये सभी तीन कारक सह-सिद्धदोष पूरन उर्फ शंकर के लिए समान थे, जिनकी एसआरबी द्वारा समयपूर्व रिहाई हेतु सिफारिश की गई थी, बल्कि पूरन, धर्मेंद्र और रानी (याचिकाकर्ता) की अपील को खारिज करने वाले निर्णय में दर्ज निष्कर्ष यह है कि अपहरण का षड्यंत्र पूरन और अन्य और वर्तमान याचिकाकर्ता ने धर्मेंद्र के साथ रचा था, वह उसी षड्यंत्र का हिस्सा था।

23. आक्षेपित आदेश में, हालांकि एसआरबी ने नोट किया है कि अन्य सह-सिद्धदोष को पिछले एसआरबी द्वारा कारागार से रिहा कर दिया गया था, लेकिन इस बात का कोई कारण नहीं दिया गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता का मामला अन्य सह-सिद्धदोषों से कैसे भिन्न है, जिसे रिहा किया गया था।

24. इसके अतिरिक्त, एसआरबी को उन परिस्थितियों पर विचार करने के अलावा, जिनमें अपराध किया गया था, नीति के पैरा 3.1 में उल्लिखित अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करना होगा। हालांकि, आक्षेपित आदेश में, इन पहलुओं पर कोई चर्चा नहीं की गई है, () क्या दोषी ने 14 वर्ष कैद के दौरान कारागार में अपने समग्र आचरण को देखते हुए अपराध करने की अपनी क्षमता खो दी है, () दोषी को समाज के एक उपयोगी सदस्य के रूप में परिचित करने की संभावना, और ()

सिद्धदोष के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति। यह स्थापित विधि है कि यदि प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग प्रासंगिक कारकों पर विचार न करने पर किया गया है, तो शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से अनुचित माना जाएगा। ऐसी स्थिति होने के कारण, आक्षेपित आदेश संधार्य नहीं है।

25. जहां तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2023 के आदेश के तहत दी गई अंतरिम सुरक्षा को चार सप्ताह की अवधि के लिए बढ़ाने की बात है, यह ध्यान दिया जाता है कि याचीगण द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए उक्त संरक्षण केवल चार सप्ताह की अवधि के लिए दिया गया था, ताकि वे अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकें।

26. इसके अतिरिक्त, एक सिद्धदोष के रूप में याचिकाकर्ता दिल्ली कारागार नियम, 2018 के अनुसार फर्लो पाने का हकदार है, जिसे दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किया गया है।

27. दिल्ली कारागार नियम, 2018 का नियम 1199 फर्लो को इस अर्थ में परिभाषित करता है *अच्छे आचरण को बनाए रखने और कारागार में अनुशासित रहने के लिए प्रेरणा के माध्यम से कैद के वर्षों की कुछ योग्य संख्या के अंतराल के बाद थोड़े समय के लिए एक याचिकाकर्ता की रिहाई। यह विशुद्ध रूप से*

कारागार में अच्छे आचरण के लिए एक प्रोत्साहन है। इसलिए, कैदी द्वारा कारागार के बाहर फर्लो पर बिताए गए समय को उसके दंडादेश में गिना जाएगा। हालांकि, यदि कैदी इस अवधि के दौरान अपराध करता है, तो उसे फर्लो पर रिहा कर दिया जाता है तो इस अवधि को दंडादेश के रूप में नहीं गिना जाएगा।

28. पैरोल और फर्लो पर कैदी को रिहा करने का उद्देश्य दिल्ली कारागार नियम, 2018 के नियम 1200 में उल्लिखित है, जो इस प्रकार है:

"1200. एक कैदी को पैरोल और फर्लो पर रिहा करने के उद्देश्य हैं:

. कैदी को अपने पारिवारिक जीवन के साथ निरंतरता बनाए रखने और पारिवारिक और सामाजिक मामलों से निपटने में सक्षम बनाना,

. उसे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने और विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए,

iii. उसे निर्माणकारी आशा और जीवन में सक्रिय रुचि विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए,

iv. बाहरी दुनिया के घटनाक्रम के संपर्क में रहने में उसकी सहायता करने के लिए,

v. उसे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करने के लिए।

vi. उसे तनाव और कैद के बुरे प्रभावों से उभरने में सक्षम बनाना, और

vii. उसे कारागार में अच्छे आचरण और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करना।

29. फर्लो पर रिहाई के लिए पात्रता मानदंड नियमावली के नियम 1220 से 1225 में दिए गए हैं। नियम 1221 समय एवं कुल अवधि प्रदान करता है जिसके

लिए एक सिद्धदोष को एक दंडादेश वर्ष में फर्लो दिया जा सकता है और उसे इस प्रकार है:

> *"1221. जैसा कि ऊपर वर्णित है, एक कैदी को दोषसिद्धि वर्ष में तीन बार में 7 सप्ताह की फर्लो दी जा सकती है, जिसमें एक बार में अधिकतम 03 सप्ताह की छुट्टी हो सकती है।*
>
> *टिप्पणी :- प्रत्येक पात्र दोषी को उसके जन्मदिन के महीने में, अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन, फर्लो की एक अवधि दी जा सकती है, सिद्धदोष द्वारा फर्लो के लिए किसी भी आवेदन के दायर किए गए बिना। यदि कैदी इस प्रावकाश का लाभ नहीं लेना चाहता है तो उससे इस संबंध में लिखित वचन पत्र लिया जा सकता है।*

30. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता को दिनांक 10.11.2023 के आदेश के तहत दो सप्ताह की अवधि के लिए फर्लो पर रिहा किया गया था लेकिन याचिकाकर्ता ने अधीक्षक, केंद्रीय कारागार सं. 6, तिहाड़, नई दिल्ली को फर्लो पर रिहा होने की अवधि समाप्त होने पर आत्मसमर्पण नहीं किया, जो उस शर्त में से एक थी जिसके अधीन उसे रिहा किया गया था। इसके बजाय, उसने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें दिनांक 16.07.2004 की नीति के आधार पर उसकी समयपूर्व रिहाई की मांग की गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11.12.2023 के आदेश के तहत खारिज कर दिया।

31. स्पष्ट रूप से, फर्लो का दावा करने का अधिकार, उसके लिए पात्रता, कुल अवधि और दोषसिद्धि वर्ष में समय अवधि, जिसमें उसे प्रदान किया जा सकता है,

नियमों से प्रवाहित होते हैं। नियम 1221 के अनुसार, एक सिद्धदोष को दोषसिद्धि वर्ष में तीन बार में सात (07) सप्ताह की फर्लो दी जा सकती है, जिसमें एक बार में अधिकतम 03 सप्ताह की छुट्टी दी जा सकती है। यह स्थापित विधिक प्रतिपादन है कि न तो न्यायालय और न ही किसी अधिकरण के पास विधिविरुद्ध निर्देश जारी करने और वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन में कार्य करने की क्षमता है। न्यायालय के पास विधिविरुद्ध निर्देश जारी करने की कोई क्षमता नहीं है और न ही न्यायालय किसी प्राधिकारी को वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का निर्देश दे सकता है। इसके अतिरिक्त, जब तक किसी नागरिक के विधिक अधिकार और राज्य या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा संबंधित विधिक कर्तव्य के अस्तित्व को प्रावधान में पढ़ा जा सकता, तब तक उसे लागू करने के लिए कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।

32. तदनुसार, फर्लो प्रदान किया जाना या उसके विस्तार को नियमों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया है और ऐसा कोई नियम नहीं है जो याचिकाकर्ता को दी गई फर्लो को तब तक जारी रखने का प्रावधान करता है जब तक कि एसआरबी द्वारा समयपूर्व रिहाई के उसके मामले पर विचार नहीं किया जाता। कुछ इसी तरह का प्रतिविरोध कि सिद्धदोष को पैरोल पर तब तक रिहा किया जाए जब तक कि सिद्धदोष के नाम पर अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया जाता है और उसकी समयपूर्व रिहाई हेतु अनुमोदित नहीं किया जाता है, को

इस न्यायालय ने रि.या. (आप.) 1311/2016 शीर्षक ***"शशि शेखर उर्फ नीरज बनाम रा.रा.क्षे दिल्ली राज्य व अन्य",*** *के मामले* में खारिज कर दिया था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा निम्नानुसार है:

> *"26. याचिकाकर्ता ऐसे समय तक पैरोल पर अपनी रिहाई की मांग करता है जब तक कि उसका नाम अधिकारियों द्वारा उसकी समयपूर्व रिहाई के लिए विचार किए जाने के पश्चात अनुमोदित नहीं किया जाता है। मेरे विचार से ऐसा अनुतोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से वह करने के समान होगा जो न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय के* ***रश्मी रेखा थाटोई व अन्य बनाम उड़ीसा राज्य व अन्य****, (2012) 5 एससीसी 690 मामले में दं.प्र.सं. की धारा 438 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश से निपटने के दौरान निम्नानुसार अवलोकन किया गया:*
>
> > *"37. इस संबंध में यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विधि के न्यायालय को सांविधिक आदेश के भीतर कार्य करना है और इससे विचलित नहीं होना है। यह विधि की सुस्थापित प्रतिपादना है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, वे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है। सांविधिक शक्ति का प्रयोग करते समय एक न्यायालय उसकी परिधि के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य होती है। शक्ति का वैधानिक प्रयोग न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग की तुलना में एक अलग पायदान पर है। यह बे बेरी अपार्टमेंट (पी) लिमिटेड बनाम शोभा (2006) 13 एससीसी 737 और उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम उदय नारायण पांडे (2006) 1 एससीसी 479 में कहा गया है।*

33. ***रशीदुल जाफर उर्फ छोटा*** (पूर्वोक्त) में दिया गया दिशा निर्देश कि पहले से दी गई अंतरिम जमानत तब तक जारी रहेगी जब तक कि उस मामले के तथ्यों में समयपूर्व रिहाई के लिए पारित आवेदन का निपटान नहीं हो जाता। उक्त मामले में

उत्तर प्रदेश राज्य में आजीवन कारावास का दण्डादेश भोग रहे 512 दोषसिद्ध व्यक्तियों ने समयपूर्व रिहाई की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में समयपूर्व रिहाई की नीति पर विचार करते हुए कतिपय स्थायी निर्देश जारी किए हैं जिनमें यह निर्देश भी शामिल है कि आजीवन कारावास भोग रहा कोई भी सिद्धदोष, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, उसके मामले में अंतरिम जमानत प्रदान करने वाला आदेश समयपूर्व रिहाई के आवेदन के निपटान तक लागू रहेगा। स्पष्ट रूप से, यह निर्देश दिया गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले से दी गई अंतरिम जमानत जारी रहेगी। हालांकि, वर्तमान मामले में न्यायालय द्वारा कोई जमानत नहीं दी गई थी, इसलिए, न्यायालय द्वारा इसे जारी रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिल्ली कारागार नियम, 2018 के तहत दो सप्ताह की अवधि के लिए फर्लो दी गई थी, इसलिए, एसआरबी द्वारा समयपूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार लंबित रखने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है, नियमों के विपरीत, इस प्रकार, उक्त मामले में निर्देश का लाभ याचिकाकर्ता को नहीं मिलेगा।

34. उपरोक्त के मद्देनजर, याचिका स्वीकृत की जानी चाहिए। तदनुसार, दिनांक 30.06.2023 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और प्रत्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पूर्वोक्त पैराग्राफ 22

से 24 में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 16.07.2004 की नीति के संदर्भ में याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई के मामले पर नए सिरे से विचार करें। यह भी निर्देश दिया जाता है कि एसआरबी का आदेश दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित होने के बाद एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपलोड किया जाए।

35. हालांकि, याचिकाकर्ता को संबंधित कारागार अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए आज से दो सप्ताह का समय दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दो सप्ताह की उक्त अवधि को दिए गए दंडादेश में नहीं गिना जाएगा।

36. आदेश की प्रति आवश्यक सूचना एवं अनुपालन हेतु संबंधित कारागार अधीक्षक को प्रेषित की जाए।

37. याचिका का निपटान किया जाता है।

38. न्यायालय की वेबसाइट पर आदेश अपलोड किया जाए।

न्या. विकास महाजन

08 जनवरी 2024
एमके/डीएसएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्झेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*